LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA: D.O.JABALPUR
TERMS & CONDITIONS (2023-2024)

- The duly filled in tender should reach this office on or before stipulated date.
- समुचित रूप से भरा हुआ टेंडर फार्म बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि तक कार्यालय के पते पर अवश्य प्राप्त होना चाहिए
- Make and brand must be clearly stated and samples of all quoted items must invariably enclose the tenders. Tender shall not be considered without samples or below our specification.
- मेक, ब्रांड आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कोटेड आईटमों के नमूनो को संलग्न होना आवश्यक है । बगैर नमूनो के अथवा हमारे द्वारा दी गयी उचित गुणवत्ता के बिना टेंडर स्वीकृत नहीं किये जायेंगे ।
- Rates should be quoted (Excluding GST) F.O.R.charges at Divisional Office Jabalpur
- सभी मूल दरें, (जी.एस.टी. रहित) मंडल कार्यालय के प्रथम तल में स्टेशनरी विभाग में पहुँचाकर , कोट की जावे ।

- Unit price must be specified in the tender however if it becomes necessary to quote weight instead of number, weight must be quoted. All the details about the items shall be quoted in the tender.
- सभी आईटमों की दरें प्रति इकाई कोट की जावे जहॉ आवाश्यक हो वहॉ वजन का उल्लेख किया जा सकता है तथा टेंडर में आइटम का पूर्ण विवरण होना आवश्यक है।

- Quotation must be either typed or hand written using dot pen without overwriting.
- निविदा बिना करेक्शन् के टाइपिंग् अथवा डोट पेन से भरी जाना चाहिये ।
- After the supply, if it is found that the materials supplied are, not exact according to the specification , faulty, and , not found useable, at any point of time, then such supply/goods will be rejected at the supplier’s cost and it will be mandatory for the supplier/firm, either to replace the supplied materials with fresh supply that must be exactly according to the approved useable specifications or refund of the payment made by us, together with bankers rate of interest and the cost of losses incurred upon us shall be borne by the firm., failure to which their name will be removed from the list of approved dealers and the security deposit shall be forfeited and further, the firm shall also be liable for legal proceedings under Jabalpur jurisdiction at the cost of firm. Corporation will not bear cost of faulty items, if used.
- आइटम सप्लाई के पश्चात् किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि सप्लाई किया गया मटेरियल/वस्तू सप्लाई आर्डर के अनुसार नहीं है, निम्न गुणवत्ता की है अथवा अन्य निर्धारित माप दण्डो के अनुरुप नहीं है, तो ऐसी वस्तु/मटेरियल को किसी भी समय, सप्लायर की कीमत पर निरस्त किया जायेगा एवं सप्लायर फर्म के लिए यह आवष्यक होगा कि वह निरस्त आइटम की जगह निर्धारित माप दण्ड एवं गुणवत्ता के अनुरूप वस्तु/मटेरियल की पूर्ति करें अन्यथा बैंक दर से ब्याज सहित भुगतान की वापसी करें । इस दौरान जो भी क्षति होगी उसे भी वहन करना होगा अन्यथा उचित कार्यवाही की जायेगी । एवं इ.एम.डी तथा सुरक्षा निधि जप्त की जायेगी । निम्न गुणवत्ता का आईटम यदि उपयोग हो जाता है तो भी निगम उसकी कीमत वहन नही करेगा ।

- The order shall be required to be executed immediately. If a supplier fails to deliver the goods on or before the stipulated date to be specified, the corporation will have liberty to purchase the article from the open market and for that any loss or damage corporation suffers thereby. The suppliers shall be liable to make good the loss or damage so caused. The order shall be required to be executed for one year from the date of approval of quotations at the rate approved by us.
- सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में सप्लाई देना आवश्यक है । विलंब अथवा सप्लाई ना कर पाने की स्थिति में आईटम बाजार से खरीदकर निगम की हुयी क्षति की वसूली फर्म की जा सकती है । स्वीकृत दरें एक वर्ष तक मान्य होगी एवं फर्म एक वर्ष तक सप्लाई हेतु बाध्य होगा ।
- Any tender not complying partly or wholly with these terms and conditions will be liable to rejection.
- उप्रोक्त शर्ते न मानने पर सक्षम अधिकारी बिना कारण बताये टेंडर का निरस्त कर सकता है ।

- No alterations in quantity and/or quality of goods indented or in the period of execution and no Enhancement in the rate of the article shall be accepted.

- निविदा स्वीकृत होने के बाद वस्तु कि गुन्वत्ता/मात्रा/दरो मे परिवर्तन नही होगा ।

- The corporation reserves its right to accept any quotation in full or in part or as per our convenience . This does not necessarily mean that the lowest quotation will be accepted

- निगम किसी भी टेंडर को अपनी सुविधा अनुसार आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं एवं यह आवष्यक नहीं होगा कि सबसे कम दरों को स्वीकृत किया जाये ।

- Any dispute arising out of our relating to this tender shall be deemed to have been arisen in Jabalpur and be subject to adjudication of competent court in Jabalpur.
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जबलपुर होगा ।

The tenderer shall be required to remit earnest Money Deposit Rs 41000/- alongwith tender. Details of deposit should be furnished therein.

- फर्मो को रूपये 41000/– ई.एम.डी. टेण्डर के साथ जमा करना होगा इसका उल्लेख टेण्डर में करना आवश्यक हैं ।

- The rates quoted shall be valid for at least 90 days from the date of quotation. However, if the rates are approved supply shall be made for one year at the approved rates. Order shall be placed time to time accordingly our requirement and total quantity may very +/- 25% as per our running contract rules.
- कोटेड दरे 90 दिनो तक मान्य होगी तथा स्वीकृत दरें एक वर्ष तक मान्य होगी आइटम की मात्रा + – 25 प्रतिशत हो सकती है । आर्डेर आवश्यकता के अनुसार समय–2 पर दिया जावेगा।
- Rates of the items shall be quoted in the same order as given in letter for calling of quotations G.S.M. of paper should be quoted whenever required.
- कोटेड दरे टेंडर फार्म के क्रम के अनुसार ही भरे तथा पेपर का G.S.M.अवश्य भरे।
- Please deposit tender fees rupees 250/-+ 45/- GST Total 295/- non refundable (if deposited earlier please ignore it) other wise tender will not be accepted.
- रू. 250/-+ 45/-GST कुल 295/– टेंडर फीस निविदा के साथ जमा करना आवश्यक है जोकि बिना बापिसी योग्य है ।
- Approval of art work must be obtained in respect of approved items before supply made
- स्वीकृत आर्टवर्क के बाद ही आइटम सप्लाई करें
- Initially the contract will be for one year. However after satisfactory completion of first year it may be further extended for 1 tenure of one year, subject to satisfactory work rendered by vendor in last contract period & on consent for renewal of contract on original rate and accepted terms & conditions on mutual consent.
- आपके द्वारा दी गयी निविदा शर्तो की सहमति अनुसार मूल अनुबंध और दरो की स्वीकृति आपकी प्रतिस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिये प्रभावी रहेगी और इसे अनुबन्ध समाप्ति तिथि से एक वर्ष की अवधि (अधिकतम 1 बार) हेतु मूल निविदा शर्तो पर आपकी सहमति से आगे बढाया जा सकेगा ।
- Competent authority reserves the right to cancel the tender without assigning any reason any time .
- सक्षम अधिकारी बिना कारण बताये टेंडर को किसी भी समय निरस्त कर सकता है ।
- Penality may be imposed by the competent authority for variation in GSM & Paper size (Lower side) or delay in supply as mention below.

%Variation in PAPER SIZE (Lower side)	**% of penalty on order value**
Up to 3%	**NIL**
Above 3% to 4%	**2%**
Above 4% to 5%	**3%**
Above5 % to 6%	**5%**

पेपर की गुणवत्ता एवं पेपर साईज (जी.एस.एम./पेपर साईज कम होने पर) या विलम्ब से आपूर्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नानुसार पेनाल्टी लगायी जा सकती हैं ।

पेपर साईज कम होने पर अन्तर (प्रतिशत)	पेनाल्टी (आर्डर वेल्यु पर)
3 प्रतिशत तक	निंरक
3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत	2 प्रतिशत
4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत	3 प्रतिशत
5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत	5 प्रतिशत

- If the variation in G.S.M / Paper Size. is more than (-) 6% order may be cancelled.
- (-) 6% जी.एस.एम./पेपर साईज में परिवर्तन से अधिक होने पर दिया गया आर्डर निरस्त किया जा सकता हैं

%Variation in GSM (Lower side)	% of penalty on order value	Period within which supply is Received	% of penalty on order value
Up to 3%	NIL	Within 10 DAYS	Nil
Above 3% to 4%	2%	Between 11DAYS to 20 DAYS	2%
Above 4% to 5%	3%	Between 21 DAYS TO 30 DAYS	3%
Above5 % to 6%	5%	ABOVE 31 DAYS	5%

पेपर की गुणवत्ता (जी.एस.एम. कम होने पर) या विलम्ब से आपूर्ति पर सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नानुसार पेनाल्टी लगायी जा सकती हैं ।

जी.एस.एम. कम होने पर अन्तर (प्रतिशत)	पेनाल्टी (आर्डर वेल्यु पर)	विलम्ब से आपूर्ति प्राप्त होने पर	पेनाल्टी (आर्डर वेल्यु पर)
3 प्रतिशत तक	निंरक	10 दिनो के अन्दर	निंरक
3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत	2 प्रतिशत	11 दिनो से अधिक 20 दिनो के अन्दर	2 प्रतिशत
5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत	5 प्रतिशत	31 दिनो से अधिक	5 प्रतिशत

- If the variation in G.S.M. is more than (-) 6% order may be cancelled.
- (-) 6% जी.एस.एम. परिवर्तन से अधिक होने पर दिया गया आर्डर निरस्त किया जा सकता हैं ।
- If the supply received more than 1 month the penalty will be 5% of total order value.
- एक माह से अधिक सप्लाई देर से होने पर 5 प्रतिशत (आर्डर वेल्यु पर) पेनाल्टी लगाई जा सकती हैं ।
- Part supply will not be acceptable without prior permission of the office.
- पार्ट आर्डर बिना पूर्व स्वीकृति के स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

Performance Security must be deposited from the successful bidder irrespective of its registration status etc. Performance Security should be for an amount of 10% of the value of the contract. Performance Security may be furnished in the form of Demand Draft / Bankers Cheque, or Bank Guarantees through Scheduled Banks. Performance Security is to be furnished by a specified date (generally 21 days after notification of the award) and it should remain valid for a period of 60 days beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier,

including warranty obligations. Performance security is to be forfeited and credited to the purchase organization in the event of a breach of contract by the supplier, in terms of the relevant contract. Performance Security should be refunded to the supplier, without any interest, whatsoever, after it duly performs and completes the contract in all respects.

- सफलतम निविदकर्ता को परफारमेन्स सिक्योरिटी जमा कराना आवश्यक होगी चाहे निविदाकर्ता फर्म का रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो भी हो । परफामेन्स सिक्योरिटी की राषि अनुबन्ध राशि की 10 प्रतिशत होगी परफामेन्स सिक्योरिटी डिमाण्ड ड्राफट/बैंकर चेक या शहड्यूल बैंक द्वारा जारी बैंक गारण्टी के द्वारा जमा की जा सकती हैं । परफामेन्स सिक्योरिटी निविदा स्वीकृति प्राप्त होने के 21 दिनों के अन्दर जमा कराना आवश्यक होगी जो कि अनुबन्ध पूर्ण होने पर निविदाकर्ता की ओर से सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने पर जिसमें वारन्टी दायित्व भी सम्मिलित है, होने के 60 दिनों तक वैद्य होगी । निविदकर्ता के द्वारा यदि निविदा के दौरान निविदा शर्तो का उल्लघन या अनुबन्ध समाप्त किया जाता हैं तो परफामेन्स सिक्योरिटी की राशि जप्त की जा सकती हैं । निविदा के संतोषजनक एवं सभी तरह की आवश्यकताए पूर्ण होने पर परफामेन्स सिक्योरिटी बिना ब्याज के वापिस की जायेगी ।
- **THE INSURANCE LAWS (AMEND-+MENT) ACT,2015**
- In term of provisions of Section 33 (3) of The Insurance Laws (Amendment) Act,2015, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA), is authorized to verify all such books of account, register, other documents and data base in the custody of the contractor in respect of service outsourced by the LIC of India. It shall be duty of the contractor to provide such documents/statements/information as may be required by IRDA within such time as may be specified by IRDA .

I AGREE WITH THE ABOVE TERM & CONDITIONS

मै आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त समस्त नियम एवं ***षर्ते*** *स्वीकार करता हू।*

DATE

PLACE

SEAL & SIGNATURE OF SUPPLIER